राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

स्टे अपील संख्या 949/2014.....जिला.....जयपुर.....
उनवान– मैसर्स तुषार ज्वैलर्स चांदपोल बाजार,जयपुर बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी,तृतीय,वा.क.जयपुर
2. वा.क.अधि.वृत–एफ,जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.06.2014	**एकलपीठ** **श्री अमर सिंह,सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, तृतीय,वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय प्राधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.05.2014, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–एफ, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24,58 के तहत् कर निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.02.2014 में ब्याज एवं कम्पोजीशन फीस मांग राशि रूपये 2,23,402/–की अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम की गई। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील मय स्थगन रू0 1,38,331/– पेश करने पर, रू0 11,500/–का स्थगन स्वीकार कर, शेष मांग रू. 1,26,831/–को अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र वसूली पर रोक हेतु पेश की गयी है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवसायी ने सर्राफा कम्पोजिशन स्कीम,2006 में दिये गये प्रार्थना पत्र को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने के कारण स्कीम से दूर किये जाने के कारण प्रस्तुत किया हे। इस कारण विवादित मांग को स्थगित करने का निवेदन किया। उनका निवेदन था कि अपील मय स्थगन पर रोक स्वीकार की जावें। विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री श्री एन.के.बैद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जांच कर तथ्यों के आधार पर मांग आरोपित की गयी है। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी व्यवहारी के रोक को अस्वीकार कर दिया है। जो विधि सम्मत है। अतः रोक आवेदन अस्वीकार किया जावे। दोनों पक्षों की बहस सुनी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध जो मांग कायम की है वह विधिसम्मत है। अपीलीय प्राधिकारी ने भी इसे विधिसम्मत मानते हुए, प्रस्तुत स्थगन पर रोक को अस्वीकार कर दिया। अतः अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं प्रस्तुत रोक आवेदन मय अपील अस्वीकार की जाती है। निर्णय सुनाया गया । 16-6-14 **(अमर सिंह)** **सदस्य**	